# MRA Saxette of India

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग 🎞 —खेंच्ड ३—डप-खंड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (I) प्राप्तिकार से प्रकारित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 513] No. 513] नई दिल्ली, चृहस्पविचार, अक्तूबर 23, 2003/फार्किक 1, 1925 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 23, 2003/KARTIKA 1, 1925

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

भारतीय रिकार्व वैंक

(बिदेशी नुद्रा निवंत्रण विभाग)

अधिस्चना

मुम्बई, ३ अक्तूबर, २००३

सं. फेमा 100/2003-आरबी

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अववा निर्गमन) (तीसरा संशोधन) विनिधनावली, 2003

सा.का.नि. 835(क).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उपधारा 3 के खण्ड (ख) और शारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग तथा दिनांक 3 मई, 2000 की अधिसूचना सं. फेमा. 20/2000—आरबी में, समय-समय पर यथा संशोधित, आंशिक संशोधन करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अन्तरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करता है, नामतः :—

#### 1. संबिप्त नाम और प्रारम्भ

- (i) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबन्ध (भारत से बाहर निवासी किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गम) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।
  - (ii) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

#### 2. विनियमायली में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभृति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 में,

- (i) विनियम 2 में खण्ड (ii) के बाद निम्निशिखत खण्ड जोड़ा जाएगा,
  - ''(iiक) 'भारत के बाहर निगमित कोई सत्ता' का अर्थ है कि मेजबान देश की संगत संविधियों, विधियों के अंतर्गत निगमित/पंजीकृत कोई भी सत्ता।''
- (ii) विनियमावली 5 के उप विनियम (1) में ''या भारत के बाहर कोई संस्था भले ही वह निगमित हो या नहीं'' शब्दों के स्थान पर''या भारत के बाहर निगमित कोई सत्ता'' शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

[सं. 1/23/ईसी/20**00-खण्ड-**II]

उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

#### MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

#### RESERVE BANK OF INDIA

(Exchange Control Department)

#### **NOTIFICATION**

Mumbai, the 3rd October, 2003

## No. FEMA 100/2003-RB

# Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2003

G.S.R. 835(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (3) of Section 6, Section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999) and in partial modification of its Notification No. FEMA 20/2000-RB dated 3rd May, 2000, as amended from time to time, the Reserve Bank of India makes the following Regulations to amend the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, namely —

### 1. Short Title and commencement:

- (i) These Regulations may be called the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) (Third Amendment) Regulations, 2003.
- (ii) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

#### 2. Amendment of the Regulations:

In the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000.

- in Regulation 2, after clause (ii) the following clause shall be inserted,
   "(iia) 'entity incorporated outside India' means an entity incorporated/registered under the relevant statutes, laws of the host country".
- (ii) in Regulation 5, sub-regulation (1), for the words "or an entity outside India, whether incorporated or not," the words "or an entity incorporated outside India," shall be substituted.

[No. 1/23/EC/2000-Vol. II]

USHA THORAT, Executive Director

# अधिसूचना

मुम्बई, ३ अक्तूबर, 2003

## सं. फेमा 101/2003-आरबी

# त्रिदेशी मुद्रा प्रबंध—[समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी) को दी गई सामान्य अनुमित को वापस लेना] विनियमावली, 2003

सा.का.नि. 836(अ).—विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 खण्ड (ख) (ग) (डः) और (च), उप-धारा (3), धारा 47 के साथ पठित द्वारा प्रदत्त और इस संबंध में अपने को उपलब्ध अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक निम्नलिखित विनियमावली बनाता है:-

# संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

 (1) यह विनियमावली विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी) को दी गई सामान्य अनुमित को वापस लेना) विनियमावली, 2003 कहलाएगी।

# (2) यह राजकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

# 2. विनियमावली के प्रयोजन के लिए -

- (i) अधिनियम" से, विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 अभिप्रेत है ;
- (ii) "खाता" से बचत, चालू, आवर्ती, मीयादी जमा जो अनिवासी (बाह्य) खाता योजना (एनआरई खाता) के अंतर्गत खोले गए और अनुरक्षित, विदेशी मुद्रा (अनिवासी) खाता-बैंक योजना (एफसीएनआर-बी खाता) अथवा अनिवासी (साधारण) खाता योजना (एनआरओ खाता) अभिप्रेत है.
- (iii) "जमाराशि" में किसी बैंक, कंपनी, स्वामित्व प्रतिष्ठान, भागीदारी फर्म, निगमित निकाय, न्यास अथवा किसी अन्य व्यक्ति के पास जमा धन शामिल होगा:
- (iv) "मौजूदा खाता" से, इस विनियमावली के लागू होने की तारीख को अनुरक्षित कोई खाता अभिप्रेत है;
- (v) "मौजूदा निवेश" से, विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवास करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण और निर्गमन) विनियमावली, 2000 के अंतर्गत दी गई सामान्य अनुमति से किया गया निवेश अभिप्रेत है:

बशर्ते कि -

- (क) संविभाग निवेश योजना के मामले में निवेश नवंबर 29, 2001 को धारित था, और
- (ख) अन्य मामलों में इस विनियमावली के प्रारंभ की तारीख को धारित था:
- (vi) "समुद्रपारीय निगमित निकाय (ओसीबी)" से, विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली, 2000 के विनियम 2 के खण्ड (xi) में परिभाषित कोई और जो इस विनियमावली के प्रारंभ की तारीख को अस्तित्व वाली सत्ता और जो ऐसे प्रारंभ के ठीक पहले विनियमावली के अंतर्गत दी गई सामान्य अनुमित के अनुसरण में लेनदेन करने के लिए पात्र हो अभिप्रेत है और शामिल है;
- (vii) "विनियमावली" से, अधिनियम के अंतर्गत बनाई गई विनियमावली अभिप्रेत है:
- (viii) "अनुसूची" से, इस विनियमावली की अनुसूची अभिप्रेत है।

इस विनियमावली का उद्देश्य और अभिप्राय

3. इस विनियमावली का उद्देश समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी) की लेनदेन करने के लिए विनियमावली के अनुमति वापस लेना है और तद्नुसार इसकी व्याख्या की जाएगी।

# अभिभावी प्रभाव

4. किसी अन्य विनियमावली में समाहित किसी और बात के विपरीत न होते हुए यह विनियमावली अभिभावी होगी।

# सामान्य अनुमति वापस लेना और निवेशों एवं लेनदेनों का अनावलन

- इस विनियमावली के प्रारंभ पर
  - (1) क) समुद्रपारीय निगमित निकाय के नाम में कोई नया खाता चाहे किसी नाम से अभिहित हो न तो खोला जाएगा और न ही अनुरक्षित किया जाएगा;
    - ख) अनुसूची के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट विनियमावली स्तंभ 2 में उल्लिखित के अनुसार संशोधित की जाएगी;
    - ग) किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय के नाम में धारित अथवा अनुरक्षित कोई मौजूदा एनआरई (बचत और चालू) खाता बंद किया जाएगा तथा जमा शेष राशि तुरंत प्रत्यावर्तित की जाएगी;
    - घ) किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय के नीम में धारित अथवा अनुरक्षित मौजूदा एनआरओ (बचत) खाता बंद किया जाएगा और जमाराशि गैर-ब्याजदार एनआरओ (चालू) खाते में अंतरित की जाएगी। ऐसे एनआरओ (चालू) खाते में जमाराशि, निम्नलिखित मामलों के सिवाय, के निपटान के लिए भारतीय रिजर्व बैंक का विनिर्दिष्ट अनुमौदन बांछनीय है:
    - (i) रुपयों में सभी स्थानीय भुगतान रिजर्व बैंक द्वारा बनाई गई संगत विनियमावली के अनुपालन के अधीन होंगे,
    - (ii) खाता धारक की भारत में चालू आय का भारत से बाहर प्रेषण लागू करों को काटकर निवल राष्ट्रा होगी;
    - (ङ) विदेशी मुद्रा प्रबंध (समुद्रपारीय निगमित निकायों (ओसीबी) द्वारा निवेशों का अनावलन) विनियमावली 2003 के लागू होने की तारीख़ पर किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय के नाम में धारित कोई मौजूदा एनआरई (आवर्ती/ मीयादी जमा) खाता अथवा एफसीएनआर (बैंक) खाता उसकी मूल परिपक्वता तक जारी रखा जा सकता है और परिपक्वता पर उसकी आय तुरंत प्रत्यावर्तित की जाएगी;
    - (च) किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय के नाम में धारित अथवा अनुरक्षित कोई मौजूदा एनआरओ (आवर्ती/ मीयादी) खाते को उसकी मूल परिपक्वता तक जारी रख सकता है और परिपक्वता पर उसकी आय एनआरओ (चालू) खाते में जमा की जाएगी;

- (छ) किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय के नाम में धारित किसी खाते की जमानत पर किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा, चाहे जो भी हो, नहीं दी जाएगी;
- (ज) किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय के नाम में धारित आवर्ती/ मीयादी जमा खाते की जमानत पर दिया गया कोई ऋण अथवा दी गई कोई अन्य सुविधा का नवीकरण नहीं किया जाएगा और जमा की परिपक्वता पर उसकी आय से समायोजित करके उसे बंद कर दिया जाएगा;
- (2) (क) किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय द्वारा किसी भी प्रतिभूति में कोई निवेश नहीं किया जाएगा;
  - (ख) कोई समुद्रपारीय निगमित निकाय -
  - (i) अपने द्वारा धारित शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों के रूप में कोई मौजूदा निवेश विक्री अथवा उपहार द्वारा किसी अनिवासी भारतीय (एनआरआई) को अंतरित कर सकता है।
  - (ii) अपने द्वारा धारित शेयरों के रूप में किसी मौजूदा निवेश को भारत में किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्स्चेंज पर किसी पंजीकृत स्टॉक ब्रोकर के माध्यम से प्रचलित बाजार दर से अनिधक दर पर विक्री द्वारा निपटा सकता है;
  - (ग) कोई समुद्रपारीय निगमित निकाय किसी भारतीय कंपनी द्वारा अधिकार आधार पर प्रस्तावित ईक्विटी अथवा अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों की खरीद के लिए पात्र नहीं होगी; और कोई भी भारतीय कंपनी किसी भी समुद्रपारीय निगमित निकाय को अधिकार आधार पर ईक्विटी अथवा अधिमानी शेयरों अथवा परिवर्तनीय डिबेंचरों का प्रस्ताव करेगी।
  - (घ) यदि इस विनियमावली के प्रारंभ होने की तारीख से पहले किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय को अधिकार आधार पर किया गया प्रस्ताव उस तारीख को मौजूद हो तो कोई समुद्रपारीय क्रिमित निकाय भारत में अथवा भारत के बाहर किसी निवासी व्यविद्धार्जी विनयमावली के अंतर्गत भारतीय कंपनी की प्रतिभूति में निवेश करने के लिए पात्र हो, के पक्ष में उसे त्याग सकता है।



- (3)(क) भारत में निवासी कोई भी व्यक्ति किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय को विदेशी मुद्रा में अथवा रुपये में न तो उधार लेगा अथवा न ही उधार देगा;
  - (ख) यदि किसी समुद्रपारीय निगमित निकाय से यथा लागू विनियमावली के अनुसार विदेशी मुद्रा में अथवा रुपये में कोई उधार या उसे दिया गया ऋण इस विनियमावली के प्रारंभ होने की तारीख को बकाया है तो ऐसा उधार अथवा ऋण देय होने पर नवीकृत नहीं किया जाएगा और चुकौती के लिए देय हो जाने के बाद उस पर कोई ब्याज उपचित नहीं होगा:

# कतिपय लेनदेन की रक्षा की अनुमति

6. कोई समुद्रपारीय निगमित निकाय एक मुद्रा के रूप में रुपये में, भारत में किसी प्राधिकृत व्यापारी के साथ निम्नलिखित की रक्षा के लिए वायदा संविदा कर सकता है -

- (i) किसी भारतीय कंपनी के शेयरों के रूप में मौजूदा निवेश पर देय लाभांश की राशि;
- (ii) मौजूदा विदेशी मुद्रा अनिवासी (एफसीएनआर) अथवा अनिवासी बाह्य रुपया (एनआरई रुपया) मीयादी जमा खाते में धारित राशि:
- (iii) विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अथवा उसके अंतर्गत जारी अधिसूचनाओं अथवा विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (भारत से बाहर किसी निवासी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली, 2000 के प्रावधानों के अनुसार संविभाग निवेश योजना के अंतर्गत किए गए मौजूदा निवेश की राशि किए गए निवेश की राशि, और दोनों मामलों में विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन्न संविदा) विनियमावली, 2000, समय-समय पर यथा संशोधित की अनुसूची (ii) के पैरा (1) के परंतुक में विनिर्दिष्ट नियम और शर्तों के अधीन होगी।

# अनुसूची

# फ़ेमा विनियमावली के वर्तमान प्रावधानों में संशोधन

विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा में उधार	अनुसूची के पैरा 3 में से विदेशी कंपनी
लेना अथवा देना) विनियमावली, 2000	निकाय' शब्द निकाल दिए जाएँगे।
विदेशी मुद्रा प्रबंध (रुपए में उधार लेना	विनियम 5 में से 'या विदेशी कंपनी निकाय
अथवा उधार देना) विनियमावली, 2000	(ओसीबी)', '/विदेशीं कंपनी निकायों
	(ओसीबी)' शब्द निकाल दिए जाएँगे।
विदेशी मुद्रा प्रबंध (जमा) विनियमावली,	विनियम 5 (1)(i) और (ii) में
2000	विनियम 8 (2) में
4.14.	अनुसूची 1 में
	अनुसूची 2 में
	अनुसूची ७ मे
*	से 'या विदेशी कंपनी निकाय' और 'विदेशी
	कंपनी निकायों '(ओसीबी) ', 'और विदेशी
	कंपनी निकाय' '/विदेशी कंपनी निकायों'
	शब्द निकाल दिए जाएँगे।
विदेशी मुद्रा प्रबंध (भारत से बाहर निवास	विनियम 5(3)(ii) और (4) में
करने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का	विनियम 9(2)(ii) में
अंतरण अथवा निर्गमन) विनियमावली,	अनुसूची 1 के परिशिष्ट 'आ' की मद सं 2
2000	और 6 में
2000	अनुसूची 3 में (पैरा 3),
	अनुसूची 4 में
	अनुसूची 5 में
	अनु पूर्वा उन 'विदेशी कंपनी निकायों', '/या विदेशी कंपनी
	निकायः 'और विदेशी कंपनी निकायः' या
The second of th	
	ओसीबी ' शब्द निकाल दिए जाएँगे।
विदेशी मुद्रा प्रबंध (विदेशी मुद्रा व्युत्पन	अनुसूची 🎛 में से 'या विदेशी कंपनी निकाय'
संविदा) विनियमावली, 2000	शब्द निकाल दिए जाएँगे।

[सं. 1/23/ईसी/2000-खण्ड-II] उषा थोरात, कार्यपालक निदेशक

#### NOTIFICATION

Mumbai, the 3rd October, 2003

#### No. FEMA 101/2003-RB

# Foreign Exchange Management [Withdrawal of General Permission to Overseas Corporate Bodies (OCBs)] Regulations, 2003

G.S.R. 836(E).—In exercise of the powers conferred by clauses (b), (d), (e) and (f) of sub-section (3) of Section 6 read with Section 47 of the FEMA, 1999 (42 of 1999) and all other powers available to it in this behalf, the Reserve Bank of India makes the following Regulations:—

## Short title and commencement

- 1. (1) These Regulations may be called Foreign Exchange Management (Withdrawal of General Permission to Overseas Corporate Bodies (OCBs)) Regulations, 2003.
  - (2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. For the purpose of these Regulations -
  - (i) "Act" means the Foreign Exchange Management Act 1999;
  - "Account" means Savings, Current, Recurring, Fixed Deposit opened and maintained under Non-Resident (External) Account Scheme (NRE Account), Foreign Currency (Non-Resident) Account Banks Scheme (FCNR-B Account) or Non-Resident (Ordinary) Account Scheme (NRO Account);
  - "Deposit" includes deposit of money with a bank, company, proprietary concern, partnership firm, corporate body, trust or any other person;
  - (iv) "Existing account" means an account maintained on the date of commencement of these Regulations;
  - (v) "Existing investment" means an investment made pursuant to the general permission granted under the Foreign Exchange Management (Transfer and Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000 provided that
    - a) in case of Portfolio Investment Scheme, the investment was held as on November 29, 2001 and
    - b) in other cases, held on the date of commencement of these Regulations,
  - (vi) "Overseas Corporate Body (OCB) " means and includes an entity defined in Clause (xi) of Regulation 2 of the Foreign Exchange Management (Deposit) Regulations, 2000 and which was in existence on the date of commencement of these Regulations and immediately prior to such commencement was eligible to undertake transactions pursuant to the general permission granted under the Regulations;
  - (vii) "Regulations" means the Regulations made under the Act:
  - (viii) "Schedule" means Schedule to these Regulations.

# Object and construction of these Regulations

3. These Regulations seek to withdraw the general permission to Overseas Corporate Bodies (OCEs) to undertake transactions in terms of such permission granted under the Regulations and shall be construed accordingly.

Overriding effect

4. Notwithstanding anything contained in any other Regulations, these Regulations shall prevail.

# Withdrawal of general permission and unwinding of investments and transactions

- 5. On the commencement of these Regulations -
  - (1) a) no fresh account by whatever name called shall be opened or maintained in the name of an OCB.
    - the Regulations specified in column 1 of the Schedule shall be amended as mentioned in Column 2.
    - c) an existing NRE (Saving and Current) Account held or maintained in the name of an OCB shall be closed and balances repatriated forthwith;
    - d) an existing NRO (Saving) Account held or maintained in the name of an OCB shall be closed and balances transferred to non-interest bearing NRO (Current) Account. The disposal of balances in such NRO (Current) account shall require specific approval of the Reserve Bank except in the following cases:

all local payments in rupees; i)

- remittance outside India of current income in India of the account holder ii) net of applicable taxes;
- e) an existing NRE (Recurring/Fixed Deposit) Account or FCNR (B) Account held in the name of an OCB, may be continued till original maturity and on maturity the proceeds shall be repatriated forthwith;
- f) an existing NRO (Recurring/Fixed) Account held or maintained in the name of an OCB may be continued till original maturity and on maturity the proceeds shall be credited to NRO (Current) Account;
- g) no facility of any nature whatsoever shall be granted on the security of an account held in the name of an OCB;
- h) any loan or other facility granted against the security of a Recurring/Fixed Deposit Account held in the name of an OCB, shall not be renewed and shall be closed by adjustment of the proceeds on maturity of the deposit;
- a) no investment in any security shall be made by an OCB; (2)

b) an OCB may -

transfer an existing investment in the form of shares or convertible debentures held by it, by sale or gift to any non-resident indian (NRI);

dispose of the existing investment in the form of shares held by it, by sale at a ii) rate not exceeding the prevailing market rate through a registered stock broker on a recognised stock exchange in India;

c) an OCB shall not be eligible to purchase equity or preference shares or convertible debentures offered on right basis by an Indian company, and no Indian company shall offer equity or preference shares or convertible debentures on right basis to an OCB;

d) where any offer on right basis made to an OCB before the date of commencement of these Regulations, is existing on that date, the OCB may renounce it in favour of any 3.

person resident in India or a person resident outside India who is eligible to invest in a security of an Indian company under the Regulacións;

a) no person resident in India shall borrow from, or lend to, an OCB either in foreign exchange or in Rupees;

b) where any borrowing from or loan to an OCB, whether in foreign exchange or in Rupees made in accordance with the Regulations as applicable, is outstanding on the date of commencement of these Regulations, such borrowing or loan shall not be renewed on becoming due, and no interest thereon shall accrue after it falls due for repayment.

# Permission to hedge certain transactions:-

6. An OCB may enter into a forward contract with rupee as one of the currencies with an Authorised Dealer (AD) in India to hedge -

the amount of dividend due to it on an existing investment in the form of shares of an Indian company:

the balances held in an existing Foreign Currency Non-Resident (FCNR) account or Non-resident External Rupee (NRE- Rupee) Term Deposit account;

the amount of existing investment made under Portfolio Investment Scheme in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Regulation Act, 1973 or under the notifications issued there under or made in accordance with the provisions of the Foreign Exchange Management (Transfer or issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2000, and in both cases subject to the terms and conditions specified in the proviso to paragraph 1 of Schedule II to The Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000, as amended from time to time.

# Schedule Amendments to the existing provisions of the FEMA Regulations;

4	2
Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Foreign Exchange) Regulations, 2000	In the Schedule, in paragraph 3, the word 'OCB' shall be deleted.
Foreign Exchange Management (Borrowing or Lending in Rupees) Regulations, 2000	In Regulation 5, the words 'or an overseas corporate body (OCB),' '/Overseas Corporate Bodies(OCBs)' shall be deleted.
Foreign Exchange Management	In Regulation 5 (1)(i) and (ii),
(Deposit) Regulations, 2000	in Regulation 8(2),
	in Schedule 1,
	in Schedule 2,
	in Schedule 7,
	the words 'or an overseas corporate body', 'and Overseas Corporate Bodies (OCBs)', 'and OCBs', '/OCBs' shall be deleted
Foreign Exchange Management	In Regulation 5(3)(ii) and (4),
(Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India)	in Regulation 9(2)(ii),
Regulations, 2000	in item Nos 2 and 6 of Annexure 'B' to
	Schedule 1,
	in Schedule 3 (paragraph 3),
	in Schedule 4,
	in Schedule 5
	the words '/OCBs', 'or an Overseas Corporate Body', 'and Overseas Corporate Body', 'or OCB' shall be deleted.
Foreign Exchange Management (Foreign Exchange Derivative Contracts) Regulations, 2000	In Schedule II, the words 'or Overseas Corporate Body' shall be deleted.

[No. 1/23/EC/2000-Vol. II]
USHA THORAT, Executive Director